



2026:AHC:27086

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 3316 / 2026

कोमल @ चक्रपाणि मुद्गल

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य व 3 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : रवि प्रकाश पाण्डेय

प्रतिवादी के अधिवक्ता : सी.एस.सी. (C.S.C.)

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि ग्राम-कुरसातो, तहसील-राजातालाब, जनपद-वाराणसी में स्थित याचिकाकर्ता को भूमि, जिसका आराजी/गाटा संख्या 562 और क्षेत्रफल 1.7000 हेक्टेयर है, के अभिलेखों में सुधार के लिए याचिकाकर्ता ने दिनांक 12.03.2025 को प्रतिवादी संख्या 4/तहसीलदार, तहसील राजातालाब, जनपद वाराणसी के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया था। तर्क यह है कि खतौनी में उक्त भूमि को श्रेणी 6-1 यानी अकृषिक/जलमग्न भूमि के रूप में गलत तरीके से दर्ज किया गया है, जबकि इसे श्रेणी-1-क यानी भूमिधरी भूमि के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए। यह भी तर्क दिया गया है कि काफी समय बीत चुका है लेकिन आज तक इस मामले में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

2. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि प्रतिवादी संख्या 2 इस मामले में शीघ्रता से निर्णय लेंगे।

3. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में तथा मामले के गुण-दोष में प्रवेश किए बिना, वर्तमान याचिका प्रतिवादी संख्या 4/तहसीलदार, तहसील राजातालाब, जनपद वाराणसी को इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से दो महीने की अवधि के भीतर उपरोक्त आवेदन को निस्तारित करने का निर्देश देते हुए निस्तारित की जाती है, बशर्ते कि कोई कानूनी बाधा न हो।

(प्रकाश पांडिया, जे.)

6 फरवरी, 2026

सकलेन

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"